

फार्म-३

धारा-३

निबन्धन प्रमाण-पत्र

HZ-1355(R)

- १ निबन्धन का संकेताक्षर
- २ प्रतिष्ठान का नाम
- ३ प्रतिष्ठान का पूरा पता
- ४ प्रतिष्ठान का निर्दिष्ट स्थान
- ५ किए जाने वाले धन्धे, व्यापार या रोजगार की किस्म
- ६ प्रबन्धक, प्रतिनिधि या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के नाम और पद जो प्रतिष्ठान के तात्कालिक अधिकार में हों

मोडर्न क्लब ड्रग्मन कुन्सलटैन्सी

लोहार टोला रोड, रामगढ, हजारीबाग

लोहार टोला रोड, रामगढ, हजारीबाग

कार्यालय

श्री अफरोज आलम - मालिक

- ७ प्रतिष्ठान के नियोजक के ऐसा हक रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति का नाम और पद
- ८ जिस दिन नियुक्त कर्मचारियों की संख्या अधिकतम हो उस दिन के कर्मचारियों की संख्या

श्री अफरोज आलम पत्नी श्री एन जव्वार - मालिक


५ पाठ्य

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित प्रतिष्ठान का निबन्धन ता० ३-१-२००२ का बिहार दुकान और प्रतिष्ठान कानून, १९५३ के अनुसार कर दिया गया है। यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ३१ दिसम्बर २००७ तक विधि मान्य रहेगा।

२०/

निरीक्षी पदाधिकारी

बिहार दुकान और प्रतिष्ठान कानून १९५३
निबन्धन का स्थान हजारीबाग



नवीकरण की ता० कब से कब तक निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर

वर्ष	नवीकृत	नि० पदा०, हजारीबाग
१ वर्ष २००५	हनु नवीकृत	नि० पदा०, हजारीबाग
२ वर्ष २००६	हनु नवीकृत	नि० पदा०, हजारीबाग
३ वर्ष २००७	हनु नवीकृत	नि० पदा०, हजारीबाग
४ वर्ष २००८	हनु नवीकृत	नि० पदा०, हजारीबाग
५ वर्ष २००९	हनु नवीकृत	नि० पदा०, हजारीबाग